

आदेश

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973(अद्यतन संशोधित) के नियम 31 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के प्रस्तावानुसार नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में कार्यरत विवेचकों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अन्तिम वरिष्ठता सूची(Final Seniority List) निम्न प्रकार से एतद् द्वारा जारी की जाती है:-

क्र.स.	नाम विवेचक	पिता/पति का नाम	सर्वर्ग	जन्म दिनांक	कार्यारम्भ दिनांक	स्थाई किये जाने की दिनांक
1	श्री अनुराग शर्मा	श्री अरुण कुमार शर्मा	GEN	31.12.1984	14.10.2014	14.10.2016
2	श्री रमाकान्त शर्मा	श्री राधेश्याम शर्मा	GEN	10.07.1987	14.10.2014	14.10.2016
3	निकीता सेनी	श्री हरि सेनी	GEN	20.11.1986	14.10.2014	14.10.2016

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग
2. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर
3. संबंधित को मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर
4. रक्षित पत्रावली

20/11/22
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति-1/राज./स्थाई वरि./2022/ 19429

दिनांक: 3/11/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक(आयुष)विभाग जयपुर
2. अति.निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. प्राध्यापक, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
4. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालयों को जरिये ई-मेल बाबत।
5. सामान्य पत्रावली।

(डॉ. महेन्द्र माथुर)
उप निदेशक